Import of Crude Oil and other Petroleum Products

1149. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the target for importing crude oil in 1979 80;

(b) the target for importing petroleum, products like naphatha, kerosene, diesel oil and fuel oil in 1979—80; and

(c) the percentage of increase in importing crude oil and petroleum products during the last three years (yearwise) ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) It is proposed to import a little over 16 million tonnes of crude oil during 1979-80.

(b) The following imports are contemplated during 1979-80 for naphtha, kerosene, diesel oil and fuel oil:

	000' tonnes
Naphtha	670
Kerosene oil	2200
High Speed Diesel oil	1790
Fuel oil	880

(c) the information is given below:

Quantity : 000' *tonnes*

:m	1976-77 Quantity	Percentage increase over previous year	1977-78 Quantity	Percentage increase over previous year	1978-79 (Estimated) Quantity	Percentage increase over previous year
Crude oil .	14207	+2·0	14440	+ 1·6	15000	+3·9
ephtha .	184	@	277	+50·5	286	+3·2
Kerosene oil .	770	+8·8	1285	+66·9	1500*	+16·7
High Speed Diesel oil .	664	+24·8	759	+14·3	1250*	+64·7
Fuel oil . .	1023	+27·6	490	—52·1	991*	+102·2

@Imports in the previous year were negligible.

* On the assumption of firming up of further imports over and above those firmed up so far

प्रैस ब्यूरो आफ इंडिया के अधिकारियों को प्रत्यय-पत्र बनाने संबंधी अर्हताएं

1150. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस ब्यूरो आफ इंडिया के उन अधिकारियों के लिये जिन्हें प्रत्यय-पत्र देने का कार्य सौंपा गया है प्रत्यय-पत्र बनाने संबंधी कुछ अर्हतायें निर्धारित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; उन के चयन का मापदण्ड क्या है और प्रत्यय-पत्र किस आधार पर दिये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी):(क) और (ख). ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य जनवरी, 1979 में नई दिल्ली में हुए सातवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को कवर करने के लिए प्रत्यय-पत्र देने के सम्बन्ध में सूचना मांग रहे हैं । प्रत्यय-पत्र देने के सम्बन्ध में सिफारिशें सरकार की एक विशेष प्रत्यायन समिति द्वारा की गई थी । पत्र सूचना कार्यालय का कोई अधिकारी इस समिति का सदस्य नहीं था । इस विशेष प्रत्यायन समिति ने प्रत्यय-पत्र देने के लिये कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये थे और उस ने उन्हीं का पालन किया था । वे मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न विवरण में दिए हुएहैं

विवरण

(1) पात्रता के लिए, समाचारपत्र/फिल्म पत्रिका की प्रसार-संख्या कम से कम 2000 प्रतियां, जो भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा प्रमाणित हों, होनी चाहिए और उस में फिल्म कालम होना चाहिए ।

(2) इस में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा जम्मू व काश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में छूट दी जा सकती है ।

(3) एक समाचारपत्र/ऐजेंसी आम तौर से एक प्रत्यय-पत्र की हकदार होगी । तथापि, बड़ी प्रसार-संख्या वाले समाचारपत्रों को दो प्रत्यय-पत्र देने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

(4) चार मुख्य समाचार एजेंसियों अर्थात् प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को दो-दो प्रत्यय-पत्र देने का निर्णय किया गया था ।

(5) गम्भीर फिल्म आलोचना छापने वाली फिल्म सोसाइटी पत्रिकाओं को प्रत्यय-पत्र देने के बारे में विचार किया जा सकता है । (यद्यपि आम तौर पर वे इस की पात्र नहीं हैं) । प्रत्यय-पत्रों की संख्या 10-12 तक सीमित होगी ।

(6) व्यापार पत्रिकाओं को प्रत्यय-पत्र नहीं दिए जायेंगे ।

(7) प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध सम्पादक प्रत्यय-पत्र पाने के पात्र नहीं होंगे ।

(8) "प्रख्यात फिल्म आलोचक" की श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे संवाददाताओं को भी प्रत्यय-पत्र देने का निर्णय किया गया था जिन के नाम किसी भी पत्रिका द्वारा भेजे नहीं जाते, किन्तु अन्यथा वे फिल्म पत्रिकारिता में प्रख्यात व्यक्ति हों ।

सातवें फिल्म समारोह में बेचे गये टिकट

1151. श्री हुरमोविन्द वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें फिल्म समारोह में विभिन्न श्रेणी के टिकट कम संख्या में बेचे गये;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो छठे और सातवें फिल्म समारोह में अलग-अलग बेचे गये टिकटों की श्रेणीवार संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) टिकटों से प्राप्त राजस्व के आधार पर मोटी तुलना से यह पता चलता है कि भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान बिके टिकटों की संख्या भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान बिके टिकटों की संख्या से कम थी ।

(ख) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान टिकटों की अपेक्षाकृत कम बिक्री के कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(1) भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रविष्ट फिल्मों की कुल संख्या फिल्मों का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिये सीमित कर दी गई थी । भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान दिखाई गई लगभग 300 फिल्मों की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्मों की संख्या, भारतीय पनोरमा की फिल्मों को छोड़कर, लगभग 140 रखी गई ।

(2) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लिये गए 14 सिनेमाघरों की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान केवल 10 सिनेमाघर ही लिए गए ।

(3) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 25 रुपए वाले टिकटों की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए वाले टिकट थे ।

(4) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान टिकटों की अन्धाधुन्ध बिक्री हुई थी जिस से लोगों को समारोह के टिकट परिकल्पना से खरीदने पड़े तथापि भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान सामान्य जनता के लिए टिकटों की बिक्री विभिन्न सिनेमाघरों पर प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा के बाद शुरू की गई । कोटि की फिल्मों के प्रति विशेषकर ऊंची दरों वाले टिकटों में जनता की रुचि अधिक नहीं थी ।

(ग) उक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Representation for setting up of High Court Bench in Trivandrum

1152. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation for setting up of a High Court Division Bench in Trivandrum (Kerala); and

(b) if so, what are the steps taken?